राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल–stp.lsg407@gmail.com वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : भूमि / एफ.7(ड) प्र.श.स.अभि. / डीएलबी / 21 / 11465-11677 दिनांक :– 02/08/2021

आयुक्त,
नगर निगम, समस्त।

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर परिषद / नगर पालिका,
समस्त।

विषयः– प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के संबंध में समस्त नगरीय निकायों द्वारा अभियान पूर्व किये जाने वाले कार्य।

....

राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 का प्रारम्भ दिनांक 02.10.2021 से किया जाना प्रस्तावित है। अभियान की सफल क्रियान्विति हेतु समस्त निकायों द्वारा प्रारम्भिक तौर पर पूर्ण किये जाने हेतु कार्य योजना तैयार कर निर्धारित अवधि में निम्न कार्य आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जावें:–

<u>कृषि भूमि</u>

1. कृषि भूमि पर पूर्व में अनुमोदित योजनाओं के भूखण्ड जिनके पट्टे जारी नहीं किये गये, उन योजनाओं में स्थित ऐसे शेष भूखण्डों के आवेदन शीघ्र प्राप्त किये जावे ताकि अभियान के दौरान पट्टे जारी किया जा सके।
2. कृषि भूमि पर विकसित कॉलोनियों जिनके ले–आउट उपलब्ध है, उनमें ले–आउट अनुमोदन की शीघ्र कार्यवाही की जाकर पट्टे हेतु आवेदन प्राप्त किये जावें।
3. ऐसी कृषि भूमि पर जिनके ले–आउट प्लान तैयार नहीं किये गये है, का सर्वे करवाकर ले–आउट प्लान तैयार करने के उपरान्त आवेदन प्राप्त कर पट्टा जारी करना।

भवन विनियम

4. भवन विनियम–2020 के विनियम सं. 5.3 के अन्तर्गत एस–3 क्षेत्र (सघन आबादी क्षेत्र) का निर्धारण किया जाना।
5. स्थानीय निकायों द्वारा भवन विनियम–2020 के बिन्दु संख्या 19.4 अनुसार तकनीकीविदों का पंजीकरण करने का कार्य।

ऑनलाईन सेवाएँ

6. विभागीय ऑनलाईन सेवाओं में समस्त संबंधित कार्मिक की मैपिंग अतिशीघ्र की जावे।
7. जिन सेवाओं का ऑनलाईन प्लेटफार्म तैयार कर लिया गया उन सेवाओं हेतु ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर कार्यवाही की जावे।

नाम हस्तान्तरण

8. नाम हस्तान्तरण के प्रकरणों मं स्थल निरीक्षण की अनिवार्यता को विभागीय अधिसूचना दिनांक 15.01.2020 द्वारा समाप्त कर प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। अतः नाम हस्तान्तरण के प्रकरणों में उक्त अधिसूचना अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए त्वरित कार्यवाही सम्पादित किया जाना।

मास्टर प्लान

9. मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र में स्थित सिवायचक भूमियों के संबंधित स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 08.12.2010 जारी की गई है। अतः नगरीय क्षेत्र में स्थित ऐसी सिवायचक भूमियों को चिन्हित कर संबंधित जिला कलक्टर से समन्वय स्थापित कर निकाय हक में हस्तान्तरित करवाकर उक्त भूमियों पर योजना तैयार किया जाना।

अन्य कार्य

10. स्टेट ग्राण्ट एक्ट के तहत आवेदन प्राप्त करना तथा लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किये जाने का कार्य।
11. जिन सड़को का मार्गाधिकार मास्टर प्लान में अंकित नहीं है, उन सड़कों पर भवन रेखा निश्चित करने के उपरान्त संबंधित सड़को का मार्गाधिकार निर्धारित करना।
12. स्थानीय निकाय के विभिन्न क्षेत्रों की आरक्षित दरों का निर्धारण किया जाना।
13. स्थानीय निकायों द्वारा संबंधित उप निदेशक (क्षै0) से समन्वय स्थापित कर निकटस्थ प्राधिकरण/नगर सुधार न्यास में वर्तमान में संचालित आनलाईन सेवाओं का समस्त संबंधित अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया जावें।

समस्त उपनिदेशक क्षैत्रीय को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यो की प्राथमिकता से पालना करवाने हेतु अधीनस्थ निकायों की सप्ताहिक समीक्षा बैठक ली जाकर सप्ताहिक प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करावे।
अभियान की सफलता हेतु उपरोक्त कार्यो को **सर्वोच्च प्राथमिकता** प्रदान करें।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांक : भूमि/एफ.7(ड) प्र.श.स.अभि./डीएलबी/21/11678-11690 दिनांक :-02/08/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उप निदेशक (क्षैत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर/बीकानेर।
6. System Analyst cum Joint Director. DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है, कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
7. रक्षित पत्रावली

(संजीव कुमार पाण्डेय)
अतिरिक्त निदेशक

D/PSKS2021/Order